

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA, PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (ii)

Appearing on Page No. 1167

Dated 22-4-78

कृषि और सिंचाई मंत्रालय
MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION
(कृषि विभाग)
(Department of Agriculture)

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 1978

अधिसूचना

का०आ० 1151.—बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय बीज समिति से परामर्श के बाद यह राय होने पर कि कृषि के प्रवृष्टि हेतु बेचे जाने वाले निम्नलिखित तालिका के कालम (2) में तदनुसूची प्रविष्टि में निर्दिष्ट बीजों की किस्म के संबंध में कालम (1) में निर्दिष्ट बीजों की किस्मों की क्वालिटी को नियमित करना आवश्यक तथा समीचीन है, एतद्वारा उक्त तालिका के कालम (3) के तदनुसूची प्रविष्टि में निर्दिष्ट क्षेत्रों के संबंध में उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु उक्त किस्मों को अधिसूचित किस्मों घोषित करती है, अर्थात् :—

तालिका

बीज के प्रकार	बीज की किस्में	राज्य जिन्हें लिए अधिसूचित किया गया है
(1)	(2)	(3)
धान	पी आर-106	पंजाब
मक्का	अगेती-76	पंजाब

यह अधिसूचना तत्काल से प्रभावी होगी।

[सं० 7-30/75-एस०डी०]

सुनील आहुजा, उप-सचिव

New Delhi, the 10th April, 1978

NOTIFICATION

S.O. 1151.—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Seeds Act, 1966 (54 of 1966), the Central Government, after consultation with the Central Seed Committee, being of opinion that it is necessary and expedient to regulate the quality of the kind of seeds specified in the column (1), in respect of the variety thereof specified in the corresponding entry in column (2) of the Table below, to be sold for the purposes of agriculture, hereby declares the said varieties of seeds to be notified varieties for the purposes of said Act in respect of the areas specified in the corresponding entry in column (3), of the said Table, namely:

TABLE

Kinds of Seed	Varieties of Seed	State for which notified
(1)	(2)	(3)
Paddy Maize	PR-106 Ageti-76	Punjab Punjab

This notification shall come into force with immediate effect.

[No. 7-30/75-SD]

SUNIL AHUJA, Dy. Secy.